

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या - 06/2025
उनवान

1. वादा पुत्र सादी जाति मिरासी निवासी गरडिया तहसील रामसर। बनाम 1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम
आदेश दिनांक 03.01.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वादा पुत्र सादी जाति मिरासी निवासी गरडिया तहसील रामसर। का खातेदारी खेत खसरा संख्या क्रमशः 136/8,139/9,159/46,162,169/64, एवं 190/106 रकबा क्रमशः 2.9461,3.0109,2.1772,0.8256,0.8013, एवं 0.5585 हेक्टैयर मौजा मदरूप का तला पटवार मण्डल गरडिया में आये हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी नाम वादा पुत्र सादी की जगह श्री पपू पुत्र सादी भूलवंश दर्ज हो गया। राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी ओनलाईन करते समय अतः राजस्व रिकॉर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम वादा पुत्र सादी करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 03.01.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या क्रमशः 136/8,139/9,159/46,162,169/64, एवं 190/106 रकबा क्रमशः 2.9461,3.0109,2.1772,0.8256,0.8013, एवं 0.5585 हेक्टैयर मौजा मदरूप का तला पटवार मण्डल गरडिया के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का वादा पुत्र सादी नाम दुरुस्त करने के आदेश प्रारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रामसर

दिनांक 03.01.2025 03/01/2025

क्रमांक : रीडर/2025/ 47-48
प्रतिलिपि :-

2. तहसीलदार रामसर।
3. प्रार्थी वादा पुत्र सादी

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर